कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान), करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी -226002
Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Central Command)
Cariappa Road, Cantt., Lucknow, Pin Code – 226002

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सं: प्रशा/2/1023/सर्कुलर   दिनांक: 24.11.2020

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
समस्त अधीनस्थ कार्यालय

विषय: "कार्यालय निधि" (00/094/30) के अन्तर्गत क्रय किए जाने वाली वस्तुओं के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

उक्त परिपेक्ष्य में अवगत कराया जाता है कि प्राय: अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव पूर्ण ना होने के कारण या तो वापस प्रेषित करने पड़ते हैं अथवा स्वीकृति में विलम्ब होता है जिसके कारण कार्यालय का कार्य बाधित होता है। अत: अधीनस्थ कार्यालयों के समस्त प्रभारी अधिकारियों को सुझाव दिया जाता है कि प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखें ताकि इस कार्यालय द्वारा प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

1. <u>GeM से क्रय संबन्धित प्रस्ताव:</u>

GFR-2017 के नियम 149 के अनुरूप, ऐसी समस्त वस्तुएँ एवं सेवाएँ, जो कि GeM पर उपलब्ध हैं, उन्हें GeM से क्रय किया जाना अनिवार्य है अत: उनके क्रय हेतु GeM पोर्टल से प्राप्त कोटेशन प्रस्ताव के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भेजना आवश्यक है। अत: समस्त वस्तुएँ एवं सेवाएँ के क्रय संबंधी प्रस्ताव में Statement of Case यथा fact ऑफ case, बजट की स्थिति, क्रय का प्रकार (यथा direct purchase, Bidding अथवा Reverse Auction), screen shot of add to cart of product on GeM पोर्टल तथा आवश्यक समस्त दस्तावेजों के साथ ही इस कार्यालय को प्रेषित करे। साथ ही यह भी सुझाव दिया जाता है कि प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु एक check list का निर्माण कर लें ताकि कोई भी आवश्यक दस्तावेज़ छूट ना जाए। प्राय: GeM पर समस्त वस्तुएँ एवं सेवाएँ की खरीद प्रक्रिया पूर्ण होने में लगभग एक माह का समय लगता है अत: सभी प्रस्ताव उचित समय रहते हुए प्रेषित करें।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जो भी समस्त वस्तुएँ एवं सेवाएँ GeM पर उपलब्ध नहीं है उनके प्रस्ताव के साथ पूर्ण Statement of Case, non availability certificate on GeM और GFR certificate 154/155 संलग्न करना सुनिश्चित करें। प्राय: यह भी देखा गया है की अधीनस्थ कार्यालयों से प्रस्ताव ना भेजकर कार्यालय-टिप्पणी प्रेषित की जाती है जो कि अस्पष्ट तथा सही नहीं है।

उपर्युक्त समस्त प्रस्ताव इस कार्यालय की mail id pcdaccan2.dad@hub.nic.in पर भी भेजना सुनिश्चित करें।

2. <u>अधिकारियों/ कर्मचारियों के समाचार पत्र एवं ब्रीफकेस के प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान:</u>

इस सन्दर्भ में संबन्धित अवधि में कार्यभार ग्रहण अथवा कार्यमुक्त होने वाले कर्मचारियों के बारे में स्पष्टता रखी जाए। दावे के साथ पूर्व में संबन्धित दावे की प्रतिपूर्ति से संबन्धित सर्टीफिकेट दावा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी से प्राप्त करके दावे के साथ भेजना आवश्यक है।

[पंकज उपाध्याय]
संयुक्त नियंत्रक (प्रशा)